सत्यमेव जयते

# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## द्वादश सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-1

शनिवार, तिथि 03 फाल्गुन, 1935 (श०) / 22 फरवरी, 2014 (ई०)

**प्रश्नों की कुल संख्या 48**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग | .. | .. | 27 |
| (2) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | .. | .. | 01 |
| (3) | वित्त विभाग | .. | .. | 02 |
| (4) | सामान्य प्रशासन विभाग | .. | .. | 05 |
| (5) | सांख्यिक वित्त विभाग | .. | .. | 03 |
| (6) | गन्ना उद्योग विभाग | .. | .. | 02 |
| (7) | उद्योग विभाग | .. | .. | 01 |
| (8) | निगरानी विभाग | .. | .. | 01 |
| (9) | कारा विभाग | .. | .. | 02 |
| (10) | निर्वाचन विभाग | .. | .. | 01 |
| (11) | सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग | .. | .. | 02 |
| (12) | मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग | .. | .. | 01 |
| | | | कुल योग --- | 48 |

### कांड का निष्पादन

*450. श्री कृष्ण कुमार ऋषि क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नवगछिया में दो मंजिला पक्का मकान को परती जमीन बताकर गलत तरीके से बेचा गया है, जिसके आलोक में नवगछिया थाना कांड सं0 153/13 दर्ज है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड में शामिल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये कांड का निष्पादन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*451. श्री रामचन्द्र सहनी क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अंतर्गत प्रखंड रामगढ़वा के शिवनगर पंचायत अंतर्गत प्रसौना मदन एवं भटवलिया ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

### पुलिस चौकी स्थापित करना

*452. श्री विजय कुमार सिन्हा क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत अशोक धाम में यात्री सुरक्षा हेतु कोई पुलिस चौकी का निर्माण आजतक नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अशोक धाम पर्यटक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ देवघर की तरह सालोंभर यात्रियों का आवागमन बना रहता है;

(3) क्या यह बात सही है कि लखीसराय बाइपास में अवस्थित अशोक धाम में लूट एवं छिनतयी की घटना बराबर होती रहती है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अशोक धाम में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

### कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*453. श्री गोपालजी ठाकुर क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड के मलौल, करहरि, पश्चिम पाहदी, माधोपुर, अकौली, बिरौल प्रखंड के मिर्जापुर, अगरडीह एवं बहेड़ी प्रखंड के शेर, बेलाही, इनाई, हावीडीह, कथौनी ग्राम स्थित कब्रिस्तान को घेराबन्दी नहीं किया गया है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों के घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है ?

### रिक्त पदों पर पदस्थापन

*454. श्री संजय सरावगी स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 के अंक में "अफसरों का टोटा, भ्रष्टाचार पर सुनवाई धीमी" शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग में करीब 1150 मामले दर्ज हैं एवं एक एक अफसरों के जिम्मे दर्जनों मामले लंबित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि निगरानी और निगरानी की विशेष इकाई में 68 पद रिक्त हैं, जिसके कारण वर्षों से भ्रष्टाचार के मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भ्रष्टाचारियों पर वर्षों से लंबित मामले का निपटारा एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

## आवास का निर्माण

*455. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि मोतिहारी जिला के चकिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी का सरकारी आवास नहीं रहने से उन्हें 40 कि0मी0 दूर मोतिहारी मुख्यालय में रहना पड़ता है तथा वहाँ से आने जाने में जनता के काम में काफी दिक्कत होती है;

(2) यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चकिया अनुमंडल पदाधिकारी का आवास निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## बोरिंग करना

*456. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय के बाजार समिति स्थित फायर स्टेशन में बोरिंग तथा स्टेटी टैंक नहीं है, जिस कारण अगलगी होने पर पानी के अभाव में आग पर काबू पाने में काफी विलम्ब हो जाता है, जिससे जान माल की काफी क्षति हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार फायर स्टेशन, खगड़िया में बोरिंग करने तथा स्टेटी टैंक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कम्प्यूटर उपलब्ध कराना

*457. श्री गोपालजी ठाकुर क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखंड स्थित राजकीय उच्च विद्यालय, महिनाम पोहदी, राजकीय उच्च विद्यालय, नवादा, राजकीय उच्च विद्यालय, मझुआर, राजकीय विद्यालय, कमलपुर, कटवासा, राजकीय उच्च विद्यालय, बहेड़ी, प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल, बेनीपुर, बहेड़ी प्रखंड के शान्तिनायक उच्च विद्यालय, बहेड़ी, बिरौल प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय, बान्द्रा, प्रोजेक्ट गर्ल्स उच्च विद्यालय, चैरमपुर, राजकीय उच्च विद्यालय, परड़ी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रमौली (बेनीपुर प्रखंड), उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चिमुलिया (बहेड़ी प्रखंड) में कम्प्यूटर नहीं रहने के कारण कम्प्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त राजकीय उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

## कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*458. श्री विभापचन्द्र चौधरी क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत के मरखाहा टोला में खेसरा नं0 322, 323, 324 पर कब्रिस्तान स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान में पशु एवं कुत्ते घुस जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान के कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*459. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन एवं नबीनगर प्रखंड में बैरिया बाजार, सिरीस बाजार एवं सुन्दरगंज बाजार में सरकारी बैंक नहीं होने से ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बाजारों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना स्थापित करना

*460. श्री अमरेन्द्र कुमार पांडेय ''पप्पू''—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंडान्तर्गत एक भी थाना स्थापित नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि पंचदेवरी प्रखंड से कटेया थाना की दूरी 10 किलोमीटर पड़ता है;

(3) क्या यह बात सही है कि कटेया थाना से पंचदेवरी प्रखंड दूर रहने के कारण आपराधिक घटनाओं को रोकने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पंचदेवरी प्रखंड में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*461. प्रो० चन्द्रशेखर—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा प्रखंड के महेशुआ एवं घैलाढ़ प्रखंड के बरदाहा के कब्रिस्तान की घेराबंदी अधूरी है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधूरा वर्णित कब्रिस्तान की घेराबन्दी पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना खोलना

*462. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत गढ़ गाँव, महपतिया, बसीपट्टी, डारह, ढ़ालख, बकुआ एवं भरगामा कौशीदियारा कहलाता है जहाँ आवागमन की कोई सुविधा नहीं है तथा उपरोक्त पंचायत के गाँव मधेपुर और भेजा थाना के नियंत्रण में है जहां से कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में काफी कठिनाई होती है, जिससे यहां के लोग अपराधियों के साये में जीने को मजबूर हैं;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पंचायतों के वासिन्दों को सुविधा हेतु बसीपट्टी पंचायत के बरियरवा गाँव में थाना खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्रवाई करना

*463. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—दिनांक 22 दिसम्बर, 2013 को स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''नहीं मिल रहा 20 हजार करोड़ का हिसाब'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात

सही है कि वर्ष-2013 में शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग एवं कृषि विभाग सहित सरकार के अन्य विभागों को जो अनुदान दिये गये हैं, उनमें से 19587.74 करोड़ रुपया का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं उपलब्ध हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

बैंक की शाखा खोलना

*464. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआंव प्रखंड के पवना बाजार 25 हजार की स्थानीय आबादी का केन्द्र है, जहां कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय व्यवसायियों तथा किसानों को पूर्णरूपेण बैंक नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या पवना बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक का पूर्णरूपेण शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना का दर्जा

*465. मो० जावेद इकबाल अंसारी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत थाना बाराहाट 1970 से कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना स्थापना वर्ष से अबतक सहायक थाना के रूप में ही कार्य कर रहा है जिसके कारण उक्त थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद केस नं० बांका थाना से लिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना को पूर्ण थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

भवन का निर्माण

*466. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी थाना का भवन मार्टिन रेलवे के पूर्व निर्मित भवन में चल रहा है, जो बहुत ही पुराना एवं जर्जर स्थिति में है एवं छोटे-छोटे कमरों में अपना कार्यालय, बंदीगृह आदि कार्यों का निष्पादन करने हेतु मजबूर है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चरपोखरी थाना को मॉडल थाना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

दर्जा देना

*467. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाढ़ अनुमंडल पटना जिला का एक ऐतिहासिक और पुराना अनुमंडल है जो जिला का दर्जा पाने हेतु सभी अर्हताओं को पूरा करता है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाढ़ को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*468. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 जनवरी, 2014 के अंक में छपी खबर ''23 साल के बाद भी नहीं मिला स्टाइपेंड'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1990 से 2009 तक राज्य के विभिन्न जिलों में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा केन्द्रों पर लगभग 1,900 गृह रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी और उन्हें इसके लिये 75 रुपये से लेकर 225 रुपये स्टाइपेंड के रूप में भुगतान करना था;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसे 1,900 गृह रक्षकों को कार्य के विरुद्ध स्टाइपेंड का भुगतान 23 वर्षों के बाद भी नहीं किया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्य के विरुद्ध मानदेय नहीं देने के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये सभी गृह रक्षकों को मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*469. श्री राम सेवक सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के प्रखंड उचका गाँव के नगर पंचायत, मीरगंज के ग्राम-हरखौली में जिन्न बाबा के पास अवस्थित कब्रिस्तान एवं ग्राम पंचायत, राज महैचा के ग्राम-सलेमपट्टी में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

चहारदीवारी का निर्माण

*470. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के विनोदपुर पंचायत स्थित महारथपुर ग्राम एवं पचाम्बा पंचायत स्थित फतेहपुर ग्राम में अवस्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी के अभाव में जमीन अतिक्रमण की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कब्रिस्तान की चहारदीवारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

साख जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत के बराबर करना

*471. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 जनवरी, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के लिये कुछ कीजिये गर्वनर साहब'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्ष 2013-14 में बैंकों के साख जमा अनुपात मात्र 40.52 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 76 प्रतिशत है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लोगों के जमा राशि 1,69,772 करोड़ रुपये की तुलना में 75,352 करोड़ रुपये मात्र ऋण के रूप में दिया गया है, जो जमा अनुपात राशि की तुलना में काफी कम है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार साख जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिये कौन-सी उपाय करना चाहती है ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*472. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत राजपुर से खौरा चौक के लगभग 9 कि०मी० के क्षेत्र में कोई भी बैंक की शाखा नहीं रहने से इस क्षेत्र के बैंक उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है;

(2) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के त्रिलोकना, रघुनाथपुर, कोन्हिया, खौरा चौक के आस-पास बैंक की शाखा खोलकर बैंक उपभोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*473. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में बड्डेम, महुआव, खरौंधा, सिराजपुर, परसौया, रामगुलाम बिघा आदि तथा नवीनगर प्रखंड में शेख बिगहा, धमनी, बारून सदन, शेखपुरा, बड़ी कला सहित अन्य कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं हुई है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

---------

भवन का निर्माण

*474. मो० जावेद इकबाल अंसारी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत पंजवारा थाना को अपना भवन नहीं रहने के कारण थाना किराये के मकान में संचालित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

वेतन का भुगतान

*475. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारसलीगंज चीनी मिल की देख-रेख हेतु नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को वर्ष 1996 से वेतन नहीं मिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिलने से इनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वारसलीगंज चीनी मिल के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को बकाये वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

सामुदायिक भवन खाली कराना

*476. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के अन्दर 10 वर्ष पहले बने एक सामुदायिक भवन में एक साल पूर्व तक अनुमंडल कार्यालय चलता रहा और अब जनवरी, 2013 से उसमें अग्निशामक दस्ते को रख दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मनिहारी नगर पंचायत में कोई सामुदायिक भवन नहीं, है, इसके कारण नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवन को नागरिकों के उपयोग के लिये खाली कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार करना

*477. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ''पप्पु''––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया थाना भवन काफी जीर्ण–शीर्णावस्था में हो जाने से भवन का सिलिंग टूटकर गिरता रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

चालू करना

*478. श्री अरूण शंकर प्रसाद––स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''उत्तर बिहार में रेशम उद्योग के अस्तित्व पर संकट'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1980 के दशक में उद्योग मंत्रालय द्वारा उत्तर बिहार के छः जिले में मुजफ्फरपुर के महमदपुर, गोखल (मुरौल) बेगूसराय में अंडी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र अलावा मुशहरी, मोतीहारी, जोकी (मधुबनी), रानीपोखर (वैशाली), सीतामढी, कुमारबाग (बेतिया) एवं सीवान में मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी थी, वहीं दरभंगा, समस्तीपुर, छपरा एवं गोपालगंज जिले को भी अधिसूचित करने के बाद भी केन्द्र नहीं खोला गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007–08 में भीषण बाढ़ के कारण मधुबनी एवं मोतीहारी के मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र को बंद कर दिया गया तथा मुजफ्फरपुर के सी0डी0पी0 अनुदान को बन्द कर दिया गया, जिस कारण इस उद्योग में लगे लोगों का जीवन–मरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी रेशम उद्योग के लिये नयी योजना बनाकर पुनः चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

घेराबंदी का विचार

*479. प्रो0 चन्द्रशेखर––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा प्रखंड के लखराज, सिमराहा, भेलवा, सरवुआ, भदौल, पीपरपत्ता, गोसाईन टोला, सीहपुर, धरहर गोठ टोला, मुरलीगंज, प्रखंड के सोनवर्षा टोला, मुसहारनियाँ रही, भीत्ता टोला, तीन टोलिया, बेलोडीह, गम्हरिया, प्रखंड के जोनबनी, फूलकाहा, अधिक यादव टोला के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित कब्रिस्तानों के घेराबन्दी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

भवन का निर्माण

*480. डॉ0 इजहार अहमद––क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल के स्थापना 22 वर्ष पूर्व हुआ था जिसका आजतक अपना प्रशासनिक कार्यालय भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिरौल अनुमंडल कार्यालय आवासीय परिसर हेतु वर्ष 2011 में हाटी उठरी मौजा में क्रमशः खेसरा नं0 23, 24 खेसरा नं0 458 से 476 (रकबा) 5.62 एकड़ भूमि सरकारी खर्च पर अधिग्रहित की गई और भवन निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये भी सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है, जबकि अनुमंडल भवन का कार्यालय का निर्माण का कार्य अबतक शुरू नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिरौल अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*481. श्री विभाषचंद्र चौधरी––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के सुजापुर पंचायत अंतर्गत असारी टोला में खाता नं0 1080, खेसरा नं0 557, रकबा 46 डीसमील पर कब्रिस्तान स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान में पशु एवं कुत्ते प्रवेश कर जाते हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान के कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

भवन का निर्माण

*482. श्री विनय कुमार सिंह---क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर थाना के अधीन सहायक थाना के रूप में विगत 15 वर्षों से पहलेजा घाट थाना चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सहायक थाना का अपना भवन नहीं रहने के कारण रेलवे की भूमि पर झोपड़ी में चलती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सहायक थाना का अपना भवन बनाकर चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देना

*483. श्री तारकिशोर प्रसाद---क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार नगर के महेश्वरी अकादमी के परिसर में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना दस वर्ष पूर्व की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र में प्रशिक्षण कार्य आजतक प्रारंभ नहीं हो सका है जिससे राशि के दुरूपयोग के साथ-साथ प्रशिक्षण से लोग वंचित भी हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त केन्द्र को चालू कर जरूरतमंद लोगों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*484. श्री जितेन्द्र कुमार राय---क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत नगरा एवं मढ़ौरा प्रखंडों के अंतर्गत पूरे सारण जिला में लगभग 200 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने की स्वीकृति वर्ष 2007-08 में प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगरा और मढ़ौरा प्रखंडों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्र 2 ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है जिसके कारण आम जनता में काफी असंतोष है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में नगरा और मढ़ौरा प्रखंडों के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी तत्काल कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

निर्देशों को अमलीजामा पहनाना

*485. श्री संजय सिंह (टाईगर)---क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 8 (आठ) केन्द्रीय कारा सहित कुल 56 (छप्पन) जेल हैं, जिनमें क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिससे कस्टोडियन डेथ की आशंका रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के जेलों में मौलिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, शौचालय और पुस्तकालय की कमी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मानवाधिकार आयोग ने जेलों में मानसिक रोग विशेषज्ञ समेत कई चिकित्सक, स्वास्थ्य जाँच के लिये मेडिकल कैम्प व स्वास्थ्य सेवाओं के लिये अलग से कैडर बनाने का निर्देश जेल विभाग को दिया था ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जेलों की दशा में सुधार हेतु नया जेल समेत मानवाधिकार आयोग के निर्देशों को अमलीजामा पहनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 486. डॉ0 इजहार अहमद—क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005–06 में बिहार के निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के लिये 45,000 (पैंतालिस हजार) कैमरे की खरीद की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि फोटोयुक्त पहचान–पत्र बनाने के लिये लोगों का फोटो खिंचने के लिये उक्त कैमरा खरीद की गई थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में मतदाता पहचान–पत्र बनाने और फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण करने के लिये लोगों को अपना फोटो स्वयं तैयार कर सम्बन्धित बी0 एल0 ओ0 और प्रखंड निर्वाचन पदा0 के यहाँ जमा करना पड़ता है ;

(4) क्या यह बात सही है कि खराब किस्म की कैमरों की खरीद के कारण प्रखंडों को मुहैया कराये गये कैमरे खराब पड़े हुये हैं ;

(5) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

प्रतिनियुक्ति करना

* 487. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय सांसद, विधायक एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक तो संबंधित व्यक्तियों के साथ ही प्रतिनियुक्त रहते हैं, किन्तु उनका स्थानांतरण एक जिला से दूसरे जिला बल में कर दिया जाता है, जिससे माननीय सदस्यों द्वारा अंगरक्षकों को राज्य से बाहर ले जाने में कई तरह की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

---

बंदियों को रखना

* 488. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मंडल कारा, नवादा में बन्दियों के लिये बना 8 (आठ) बैरक दो वर्षों से बनकर तैयार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बैरकों में ताला बन्द है, पुराने बैरकों में क्षमता से अधिक संख्या में बन्दियों को रखा जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मंडल कारा, नवादा के नये बैरकों में बन्दियों को रखने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्यक्रम आयोजित नहीं कराने का औचित्य

* 489. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मैथिली भाषा अष्टम सूची में शामिल भाषा है, किन्तु राजभाषा विभाग द्वारा इस भाषा के विकास के लिये कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

---

राशि उपलब्ध कराना

* 490. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्य मंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होनेवाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु 10–10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने की वर्ष 2007–08 से की गयी शुरूआत के आलोक में वर्ष 2012–13 में राज्यभर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों की कुल सं0 25,152 में से अबतक मात्र 19,921 को ही लाभान्वित किया गया है, यदि हाँ, तो शेष 5,231 विद्यार्थियों को अबतक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 491. श्री रामचन्द्र सहनी––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अंतर्गत प्रखंड सुगौली के भटहां पंचायत अंतर्गत खोदा नगर कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

भवन का निर्माण

* 492. श्री राम सेवक सिंह––क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी के निवास हेतु भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के लिये निवास भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

सेल का गठन

* 493. श्री संजय सिंह (टाईगर)––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सहित पूरे सूबे में साइबर अपराध से जुड़े मामले यथा एटीएम फ्राड,ऑनलाइन मार्केटिंग फेसबुक एकाउन्ट हैक, कॉल या मैसेज भेजकर ईनाम का लालच देना, बेवसाइट हैक, ई–मेल आइडी है, लगातार घटित हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि साइबर क्राइम से निपटने हेतु फिलहाल बिहार पुलिस के पास अपना साइबर क्राइम सेल नहीं रहने से अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साइबर क्राइम को नियंत्रित करने हेतु विशेष साइबर क्राइम सेल गठित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

भूमि को खाली कराना

* 494. श्री विनय बिहारी––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि जिला अपर दण्डाधिकारी, बेतिया, प0 चम्पारण ने अतिक्रमण वाद सं0 272/2012–13 का निपटारा करते हुये अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2012 को पारित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपर जिला दण्डाधिकारी के पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर के ज्ञापांक 316, दिनांक 22 मई, 2013, ज्ञापांक 519, दिनांक 28 जुलाई, 2013, ज्ञापांक 709, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 तथा ज्ञापांक 793, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त कर मुफस्सिल पुलिस को चार बार अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का आदेश दिया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि न्यायायिक दण्डाधिकारी के आदेश के आलोक में अतिक्रमणमुक्त कराने गयी पुलिस एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को अतिक्रमणकारियों ने मार–पीट कर बैरन वापस लौटा दिया जिसके विरुद्ध मुफस्सिल पुलिस में कांड सं0 749/2013 दर्ज है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 495. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखंड के अस्थावां में हदरहिया दरगाह के पास, मदरसा के पीछे ग्राम–मकसूदपुर में लेटडा पर सौड़ियारी पर ग्राम–जरियार में, ग्राम–छगांआ में गोडवा करतर, महुआतर, ग्राम–डुमरावां में बथानी पर गोवर बिगहा–गौरेगरीकानन्द, गोरेगरीवा, खोरनिया आदि स्थानों पर आजतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

नया थाना स्थापित करना

* 496. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अन्तर्गत बगछल्ला पंचायत के पड़ोसी पंचायत क्रमशः देवगाँव, खरसौता, केलाबाडी तथा जोकड इलाकों में अपराधियों का बोलबाला है जिस कारण आये दिन चोरी–डकैती होते रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों से आजमनगर थाना की दूरी 15 कि०मी० है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बगछल्ला में नया थाना स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

राशि देना

* 497. श्री रामनरेश प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला सहित सम्पूर्ण बिहार में वर्ष 2013 के अक्टूबर महीने में चक्रवाती तूफान आया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तूफान से किसानों के खेत में लगे गन्ने को भारी नुकसान हुआ था ;

(3) क्या यह बात सही है कि एक सौ इक्कीस करोड़ रुपया सरकार ने सभी जिला को नुकसान के भरपाई करने के लिये दिया था, जिसमें सीतामढ़ी जिला को राशि से वंचित रखा गया था ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी को राशि देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2014 (ई०)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 145—डी०टी०पी०—450